आरक्षण एक्सप्रेस

महिला आरक्षण बिल लागू करो

एकजुटता प्रदर्शन, 21 मई, 2010

साथियों,

दुनिया का आधा हिस्सा यानि महिलाएँ, कई देशों के साथ–साथ हमारे देश में भी लैंगिक असमानता व अन्याय से उपजने वाले शोषण की शिकार हैं। लैंगिक समानता के स्तर को जाँचने वाले मानकों के अन्तर्गत 128 देशों की सूची में हमारे देश का 114 वाँ स्थान है। यूँ तो यह असमानता हमें लगभग हर क्षेत्र में नजर आती है लेकिन राजनैतिक संस्थाओं में यह कुछ ज्यादा ही प्रभावी है। आज भी हमारी संसद, विधानसभाओं से लेकर स्थानीय निकायों व राजनैतिक दलों के भीतर महिलाओं की वह संख्या व हैसियत कायम नहीं हो सकी है जिसकी कि वे हक़दार हैं।

यह सही है कि महिलाओं का राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदार बन पाना उनके सम्पूर्ण सशक्तीकरण के द्वारा ही निर्धारित होगा लेकिन स्त्री–पुरूषों के बीच गैरबराबरी की समाप्ति के लिए जारी संघर्ष हेतु आवश्यक है कि महिलाएँ आरक्षण के रास्ते राजनैतिक संस्थानों में अपना दखल बढ़ाएँ ताकि भारतीय राजनीति व समाज में फैले पुरूषवादी वर्चस्व को चुनौती दी जा सके।

लैंगिक असमानता व अन्याय के खिलाफ राजनैतिक हस्तक्षेप की शुरूआत दरअसल सन 1975 से ही प्रारंभ हो चुकी थी जब संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर इस वर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया और विभिन्न माध्यमों से महिलाओं की सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक रूप से पिछड़े होने को रेखांकित किया गया। सन् 1988 में बनी महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में पहली बार हर स्तर के चुनावों में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का सपना देखा गया। इसे मूर्त रूप देने के लिए सन् 1996 में केन्द्रीय कैबिनेट ने पहली बार महिला आरक्षण विधेयक पारित किया जो लगभग बीते डेढ़ दशक से कानून बनाए जाने के लिए संसद की स्वीकृति को मोहताज हैं।

इस विधेयक में यह प्रावधान है कि हमारी संसद व विधानसभाओं की 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी लेकिन राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी अब तक इस बिल के लम्बित रहने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है। पिछले डेढ़ दशक से तमाम प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक ताकतों और महिला संगठनों के सतत् संघर्ष के चलते इस बिल को कई बार संसद में पेश करने के प्रयास किए गए लेकिन असफलता ही हाथ लगी। विगत 9 मार्च सन् 2010 में हमारी राज्यसभा द्वारा एक अशोभनीय हंगामे के बाद भी इस विधेयक को दो तिहाई बहुमत से पारित कर दिया गया और इसे अब लोकसभा द्वारा पारित कर कानूनी दर्जा दिया जाना है लोकसभा में इसे पारित कराए जाने के लिए सड़कों पर संघर्ष और तेज करना जरूरी जान पड़ता है। लोकसभा से पारित होने के उपरान्त इसकी 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित हो जाएँगी। 28 राज्यों की विधान–सभाओं की 4109 सीटों में से 1370 सीटों पर भी यह आरक्षण लागू होगा। इन आरक्षित सीटों को प्रत्येक तीन चुनावों के उपरान्त रोटेशन में बदला जाना भी इसी विधेयक का हिस्सा है।

हमारी संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से भी कम है जबकि कुल मतदाता जनसंख्या की 45 प्रतिशत महिलाएँ हैं। इस पर भी कुछ राजनैतिक दल तमाम कुतर्कों के द्वारा इस बिल को पारित कराए जाने से रोकने की कोशिश में हैं। यद्यपि सत्तारूढ़ दल व प्रमुख विपक्षी दल में भी आन्तरिक तौर पर इस बिल को लेकर कई लोग सांसत में हैं। ऐसे में तमाम प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक व लैंगिक समानता के पक्षधर संगठनों द्वारा सड़कों पर संघर्ष को बढ़ाना लाजिमी है।

इस परिप्रेक्ष्य में "अनहद" द्वारा तमाम जनसंगठनों व महिला आंदोलनों के सहयोग से "रिजर्वेशन एक्सप्रेस" नामक एक अभियान शुरू किया जा रहा है। यह जन जागरूकता अभियान 20 मई 2010 से झाँसी शहर से प्रारंभ होगा। इसके अन्तर्गत तीन अलग–अलग दिशाओं में जाने वाले आरक्षण कारवां को झण्डी दिखा कर रवाना किया जाएगा। कारवां के तीन समूह देश के 15 राज्यों के 56 शहरों से गुजरते हुए 7 जून 2010 को दिल्ली में एकजुट होंगे। इस दौरान यह 15 हजार किलोमीटर की लम्बी यात्रा को महिला आरक्षण बिल पर जागरूकता फैलाते हुए तय करेंगे।

हमारे अपने प्रदेश में यह कारवां 20 मई को प्रवेश करेगा तथा 22 मई तक चार जिलों की यात्रा करते हुए आगे बढ़ेगा। इन चार जिलों में भोपाल, रीवा, जबलपुर (21 मई) तथा इन्दौर (22 मई) शामिल हैं। म.प्र. के तमाम जन संगठनों, महिला आंदोलन व नेटवर्कों ने इस आरक्षण एक्सप्रेस को समर्थन देने व इसके मूलभाव को तीव्रता से उठाने का फैसला किया है। इसी क्रम में आरक्षण एक्सप्रेस का सम्मान व एकजुटता प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित है। अतः आप सभी साथी जो सतत् रूप से लैंगिक समानता व न्याय के पक्ष में संघर्षरत हैं से अपेक्षा है कि महिला आरक्षण बिल पर एकजुटता को बल देने के लिए इस अवसर पर साथ होंगे।

दिनांक - 21 मई 2010

समय - सुबह 10.30 से 1.00 बजे।

स्थान - मुल्ला रमूजी, संस्कृति भवन, बाणगंगा चौराहा, भोपाल

-: आयोजन समिति :-

म.प्र. भारत ज्ञान विज्ञान समिति, एन.एफ.आई.डबल्यू, एडवा, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, म.प्र. समता, म.प्र. महिला मंच, आशना महिला अधिकार संदर्भ केन्द्र, आईविड, गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति, गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, बचपन, मुस्कान, एकलव्य, म.प्र. विज्ञान सभा, समावेश, विकास संवाद, संगिनी, म.प्र. जन स्वास्थ्य अभियान, जनपहल मध्यप्रदेश, राष्ट्रीय सेक्यूलर मंच, महिला चेतना मंच, एकता परिषद, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका यूनियन, तूलिका संवाद, एक्शन एड, अरण्या, ए.आई.बी.ई.ए, भोपाल डिवीजन इंश्योरेंस एम्पलाइज यूनियन, नागरिक अधिकार मंच, युवा संवाद, बी.एस.एन.एल एम्प्लाईज यूनियन, सहयोग, तराशी, सीटू, एटक, एच.एम.एस, पीपुल्स रिसर्च सोसायटी, पी.यू.सी.एल., घरेलू कामगार महिला अधिकार मंच, सरोकार, सहयोगिनी, म.प्र. प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ, नेशनल एलाइंस आफ वूमेन, भारतीय जन नाट्य मंच।

संपर्क :– 9425402012,4218572,9755622301

प्रकाशक : भारत ज्ञान विज्ञान समिति, म.प्र. मुद्रक : रेनबो प्रिंटर्स, भोपाल संख्या – 2000